273

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1251–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.05.06 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 360/02–03/अपील

.....

केशरबाई पुत्री सुल्ले पत्नी श्री रमेश चन्द लोधी
निवासी – इंदरगढ, तहसील सेवढा,
जिला – दतिया (म0प्र0) --- आवेदक

विरूद्ध

अनीता देवी पुत्री सुल्ले लोधी पत्नी श्री रक्षपाल सिंह,
निवासी – ग्राम जीरा तहसील मोंढ,
जिला – झाँसी (उ0प्र0) -- अनावेदिका

श्री ए0के0 पाण्डे, अधिवक्ता, आवेदक,
श्री एस0के0 वाजपेयी, अधिवक्ता, अनावेदक
श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़, अधिवक्ता, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22/9/2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 360/02–03/अपील में पारित आदेश दिनांक 15–05–2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक सुल्ले की कृषि भूमि सर्व क्रमांक 883, 890, 481, 982, 1176 कुल किता 5 कुल रकवा 12.62 एकड़ ग्राम इन्दरगढ़, जिला दतिया में स्थित है। उसकी दो पुत्रीयाँ आवेदिका केशरबाई शादीशुदा होकर बालिग है तथा दूसरी पुत्री अनावेदिका अनीता देवी नाबालिग थी। दोनों पुत्रियाँ अपने पिता के साथ ही निवास करती थी अन्य कोई पुत्र सन्तान नहीं था। सल्लू की मृत्यु के पश्चात् आवेदिका केशरबाई द्वारा एक वसीयत के आधार पर पंजी क्रमांक 24 दिनांक 15.08.1992 पर नामान्तरण करा लिया गया। अनावेदिका अनीता बाई जब बालिग हुयी तब उसने जानकारी ली और पंजी की नकल निकालकर आदेश दिनांक 15.08.1992 के खिलाफ अपील अनुविभागीय अधिकारी, सेवढ़ा के समक्ष मय अवधि आवेदन पत्र सहित प्रस्तुत की, जो अवधि वाह्य मानकर निरस्त कर दी गयी। जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 15.05.2006 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सेवढ़ा के आदेश को निरस्त कर दिया गया, उस आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3- प्रकरण में उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये। आवेदिका अभिभाषक ने अपने तर्क में बताया गया है कि 8 वर्ष पश्चात् अवधि वाह्य अपील प्रस्तुत की गयी है, जो निरस्त किये जाने योग्य है साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि अनावेदिका की शादी आवेदिका द्वारा की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

अनावेदिका के अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि आवेदिका एवं अनावेदिका दोनों खास बहन होकर सुल्ले की पुत्रियाँ है, पिता की मृत्यु 40 वर्ष की अवस्था में हो गयी थी, उसके पश्चात् माँ की भी मृत्यु हो चुकी है। अनावेदिका अनीता देवी 13-14 वर्ष की नाबालिक थी, अपने पिता के घर पर ही रहती थी उसे सरकारी कागजात एवं कार्यवाहियों से पूर्णतः अनभिज्ञ थी। पिता की कृषि भूमि से प्राप्त धनराशि से ही अनावेदिका की शादी की गयी एवं आवेदिका द्वारा फर्जी वसीयत तैयार की गयी है। वसीयत में दोनों पुत्रियों का उल्लेख है, नामान्तरण के संबंध में अनावेदिका को नहीं बताया गया है, बालिक होने पर जब आवेदिका ने अनावेदिका को पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति में कोई हक नहीं है पिता के घर से निकालने की धौंस दी गयी, तब कपटपूर्ण की गयी कार्यवाही एवं नामान्तरण के संबंध में जानकारी दिनांक 26.09.2001 को खतौनी की नकल निकालने से ज्ञात हुयी, जानकारी दिनांक से विधिवत

अपील अवधि अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। न्यायदृष्टांत 2007(1) म0प्र0लॉ. जन.-123 एवं सारवान न्यायदृष्टांत के रूप में ए.आई.आर.1987 सु.को. -1353 एवं 1999(1) विधि भास्वर-280 पर निर्भरता व्यक्त की गयी, साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त कर दोनों पुत्रियों को पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति में से समान भाग 1/2 दिये जाने का अनुरोध किया गया।

4- उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। वसीयत में दोनों पुत्रियों का उल्लेख है, जिसमें अनावेदिका नाबालिक है, जिसकी शादी नहीं हुयी है जिसे वसीयत में वसीयत साक्षियों द्वारा भी माना गया है। ऐसी स्थिति में वसीयत संदेस्हापद प्रतीत होती है एवं कपटपूर्ण पंजी पर किया गया नामांतरण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूं। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी, सेवढ़ा द्वारा अवधि के बिन्दु पर अपील को अवधि वाह्य मानने में त्रुटि की गयी, जो सारवान न्याय को विफल करने का प्रतीत होता है। जो अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांतों से स्पष्ट उल्लेखित किया गया है। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में मृतक सुल्ले की दोनों पुत्रियों जो प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उस पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है, जबकि वसीयत से स्पष्ट

था, तब प्रकरण को गुण-दोषों पर निराकरण करने के बजाय प्रत्यावर्तित किये जाने में त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार का आदेश दिनांक 15.08.1993 एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21.01.2002 तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का आदेश दिनांक 15.05. 2006 स्थिर रखे नहीं जा सकते।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं, मृतक सल्लू की दोनों पुत्रियाँ वैध वारिस होने से सुल्ले की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर समान भाग 1/2 पर नामान्तरण किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह निगरानी अस्वीकार की जाती है।

एम.के. सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर